वैधता पर इन एस.एल.पी. (सी) संख्या 9724-28 और 9819-25/96 को निपटाने के उद्देश्य से विचार किया जाना था, अत: हम समझते हैं कि मामले पर संघटन न्यायपीठ द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए। इसलिए रजिस्ट्री द्वारा इन मामलों के शीघ्र निपटान के लिए उपयुक्त न्यायपीठ के गठन के लिए भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष इन मामलों को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पेश किया जाता है कि बिहार राज्य में पंचायत के चुनाव तब तक शुरु नहीं किए जा सकते जब तक इन मामलों का निपटान न कर दिया जाए।"

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपयुर्क्त आदेश से यह स्पष्ट है कि बिहार में पंचायतों के चुनाव तब तक नहीं कराए जा सकते जब तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संघटन न्यायपीठ द्वारा इन मामलों का निपटान न कर दिया जाए। मंत्रालय ने मामले को विधि और न्याय मंत्रालय और भारत के महान्यायवादी के साथ उठाया है और यह अनुरोध किया है कि इन मामलों के शीघ्र निपटान के लिए उपयुक्त न्यायपीठ के गठन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शीघ्र कदम उठाएं।

बिहार में बंजरभूमि का प्रयोग

859. **श्री जनार्दन यादव:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में गत तीन वर्षों के दौरान कृषि तथा बागवानी के प्रयोजनार्थ कितनी बंजरभूमि का उपयोग किया गया है;

(ख) बिहार में तीन वर्ष पहले कुल कितनी बंजरभूमि थी तथा इस समय यह बंजरभूमि कितनी है;

(ग) इस अवधि के दौरान राज्य सरकार को कितनी धनराशि दी गई थी; और

(घ) बंजरभूमि के विकास के लिए क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबा गौड़ा पाटिल): (क) समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम की परियोजनाओं के अंतर्गत वाटरशेड क्षेत्रों का विकास भारत सरकार की वित्तीय सहायता से स्थानीय समुदाय द्वारा समेकित रूप में किया जाता है। मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत बागवानी अथवा कृषि के लिए भूमि उपयोग अथवा विशिष्ट उपयोग के बारे में ऐसे किसी परिवर्तन के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बल्कि भूमि की उत्पादकता बढ़ाने पर बल दिया गया है।

(ख) देश में बंजरभूमि के बारे में विभिन्न संस्थाओं द्वारा भिन्न-भिन्न अनुमान दिये गये हैं। राष्ट्रीय दूरसंवेदी एजेंसी, हैदराबाद ने 1995 के स्तर के अनुसार बिहार में 25.827 लाख हैक्टेयर बंजर भूमि होने की सूचना दी है। विभाग द्वारा 3 वर्षों की अवधि के पश्चात परिवर्तन संबंधी कोई आवधिक अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग) वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान बंजरभूमि विकास विभाग द्वारा बंजरभूमि के विकास के लिए बिहार राज्य को 6.72 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

(घ) बंजरभूमि के विकास के लिए बंजरभूमि विभाग ने पांच योजनायें, नामश: समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम, प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार एवं प्रशिक्षण योजना, स्वयंसेवी एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान योजना, निवेश संवर्धन योजना तथा बंजरभूमि विभाग कृतिक बल योजना आरंभ की है।

Handing over of DRDA to Autonomous Council in Assam

860. SHRI PRAKANTA WARISA: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government have given a clearance with a direction to the State Government of Assam to hand over the DRDA Department (District Rural Development Agency) to the Autonomous Council of Hill Areas of Assam as per the spirit of Memorandum of Understanding (MoU);

(b) if so, the specific reasons for not handing over that Department to the Council; and

(c) what action Government propose to take against the State Government and the time by which it is likely to be handed over to the Hill Council, Assam?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI BABAGOUDA PATIL): (a) The Ministry of Rural Areas & Employment has concurred with the proposal of Government of Assam to entrust the control of DRDAs to the Autonomous District Councils of Karbi Anglong and North Cachar Districts.

(b) Government of Assam have informed that the handing over is under active consideration and that procedures to be